


तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

18/12/19

वकील अपीलान्ट उपस्थित पत्रावली  
 का अवलोकन किया। बार-बार अवल  
 देने के बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा रैस्पों  
 सी तलवी नहीं कराई गई। दिनांक 03-10-19,  
 31-10-19, 3-12-19 को तलवी हेतु अतिरिक्त  
 अवसर भी दिये गये। इसके तदतिरिक्त  
 न्यायालय द्वारा दिनांक 10-12-19 को तलवी  
 के अभाव में अपील अंपालना में खारिज  
 किए जाने की चेतावनी भी दी गई किंतु  
 इसके बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा रैस्पोंसी  
 तलवी नहीं कराई गई। प्रतीत होता है कि  
 अपीलान्ट की अपनी अपील के उत्तर कोश भी  
 संचि नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट  
 के अंतर्गत कोडेश 09 नियम 05 CPC में वादी  
 प्रावधानों के तहत अंपालना में खारिज की  
 जाती है। पत्रावली फंसल शुदा लेना बाड  
 तके प्रील दा.द. हो। एक पक्षीय द्योग दि. 29-12-15  
 खारिज किया गया है।

  
 जिला कलक्टर  
 धनगढ़ (गजगं)

